मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 19 जुलाई, 2010 (आषाढ़ 28, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत "वंदेमातरम्" के गायन से प्रारम्भ हुई।

2. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूतपूर्व उप राष्ट्रपति श्री भैरोंसिंह शेखावत, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह, भूतपूर्व सदस्यगण विधान सभा सर्वश्री भैयाराम खूंटे, रामकुमार अग्रवाल, मोहनलाल झिकराम तथा श्रीमती जयाबेन एवं मेजर अमित ठेंगे के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री रामलखन सिंह, लक्ष्मण तिवारी, पारस दादा सकलेचा, ताराचंद बावरिया, चौधरी मेर सिंह, सदस्यगण तथा श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये। सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई।

पूर्वाह्न 11.01 बजे दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 11.10 बजे पुनः समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 68 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 79 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(सत्ता पक्ष के सदस्यगण द्वारा सदन में भोपाल गैस कांड से संबंधित तख्तियों का प्रदर्शन किया गया तथा नारेबाजी की गई)

व्यवधान एवं शोरगुल के कारण पूर्वाह्न 11.33 बजे कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित होकर 11.47 बजे पुनः समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(सदन में दोनों पक्षों के अधिकांश सदस्यगण खड़े होकर अपनी बात कहने लगे। भारी व्यवधान एवं शोरगुल के वातावरण के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों से कार्यवाही के संचालन में सहयोग की अपील की गई)

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले में आदिवासी कल्याण विभाग के शिक्षकों का वेतन न मिलने,
(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश के मदरसा बोर्ड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किये जाने,
(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की भिण्ड के देहात थाना अंतर्गत एक अल्पसंख्यक परिवार के लोगों के साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई न होने,
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर में स्थानीय निकाय द्वारा कराये निर्माण कार्य पहली बारिश में गिर जाने,
(5) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा में अशुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने,
(6) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की सरदारपुर में आदिवासी छात्रावासों का अभाव होने,
(7) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की जल संसाधन विभाग में दै.वे.भोगी भृत्यों को नियमित न किये जाने,
(8) डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की जावरा में रेल्वे क्रासिंग पर ओव्हर ब्रिज बनाये जाने,
(9) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की भोपाल के प्रायवेट डेन्टल कालेजों में फर्जीवाड़ा होने तथा
(10) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्य की इन्दौर शहर में अवैध मोबाइल टावर लगाये जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

5. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) पटल पर रखा।

6. फरवरी -मार्च, 2010 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी -मार्च, 2010 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों को पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

7. नियम 267-क के अधीन फरवरी -मार्च, 2010 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2010 सत्र में पढ़ी गई सूचनाएं तथा उन पर शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

8. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्रों में पारित 14 विधेयकों में से 1 विधेयक को महामहिम राष्ट्रपति महोदय तथा 13 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। अतः निम्नलिखित विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक :-

(1) भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 (क्र. 19 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2010)

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक :-

(1) मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 (क्रमांक 1 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2010)
(2) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2010)
(3) मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2010)

(4) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2010)
(5) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2010)
(6) राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2010)
(7) मध्यप्रदेश जनशिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 6 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2010)
(8) महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2010)
(9) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2010)
(10) मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2010)
(11) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 13 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2010)
(12) मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2010)
(13) मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 15 सन् 2010)-(अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2010)

9. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 19 जुलाई, 2010 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है -

क्र.	**शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्य**	**निर्धारित समय**
(1)	मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010)	1 घण्टा
(2)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010)	2 घण्टे
(3)	वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	3 घण्टे
(4)	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 पर चर्चा.	2 घण्टे
(5)	मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पर चर्चा.	2 घण्टे
(6)	मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 पर चर्चा.	2 घण्टे
(7)	मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2007-2008 पर चर्चा.	2 घण्टे
(8)	प्रदेश में विद्युत की कमी, अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत दरों में वृद्धि के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, श्री रामनिवास रावत तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा.	1 घन्टा 30 मिनट

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अध्यक्ष महोदय ने अभी शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. ध्यानाकर्षण

सदन में अत्यधिक व्यवधान एवं शोरगुल का वातावरण होने के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, निम्नलिखित सदस्यों की ध्यानाकर्षण की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री के वक्तव्य पढ़े हुए माने गये :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण की ग्वालियर नगर के विक्टोरिया मार्केट में अग्निकांड से पीड़ित व्यापारियों को मुआवजा राशि न दिये जाने संबंधी सूचना तथा उस पर श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(2) श्री आरिफ अकील एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की प्रदेश के कृषकों द्वारा विक्रय किये गये बीज की राशि का भुगतान मध्यप्रदेश बीज निगम द्वारा न किये जाने संबंधी सूचना तथा उस पर डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

11. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 183-महेश्वर (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने विधानसभा के अपने स्थान से त्याग पत्र दे दिया है, जिसे उनके द्वारा दिनांक 22 जून, 2010 को स्वीकृत किया है।

12. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-9 के उप नियम (1) के अधीन,निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया है:-

(1) श्री ज्ञान सिंह

(2) श्री केदारनाथ शुक्ला

(3) श्रीमती नीता पटैरिया

(4) डॉ. गोविन्द सिंह

(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

(6) श्री रामलखन सिंह

पूर्वाह्न 11.55 बजे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई, 2010 (आषाढ़ 29, 1932) 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 जुलाई, 2010